न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 66/2025 G.C.M.S. No. 2025/397 दर्ज दिनांक : 03.07.2025

अपीलार्थिगण:

1. हरदाराम पुत्र भोमाराम जाति कुम्हार निवासी केरिया, तहसील चितलवाना,
2. रमेश कुमार पुत्र पेलादराम, जाति कुम्हार, निवासी केरिया, तहसील चितलवाना

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. दीपाराम पुत्र दुदा
2. शंकरराम पुत्र दुदा
3. अजोती देवी पत्नी दुदा, जातिगण ब्राहम्ण, निवासी केरिया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी चितलवाना द्वारा प्रकरण संख्या 03/2023 बअनवान दीपाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री राजुराम हरियाल, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री शम्भुदान आशिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स संख्या 01 से 03।
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 04।

निर्णय

दिनांक: 22.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी चितलवाना द्वारा प्रकरण संख्या 03/2023 बअनवान दीपाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिसमें ग्राम केरिया में रेस्पोडेन्ट की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 802, 803 रकबा 1.15 एवं 1.36 हैक्टेयर की स्थित है। रेस्पोडेन्ट की उक्त खातेदारी खेतो में आवागमन हेतु अपीलांट के खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 797 क्षेत्रफल 1.24 हैक्टर में से 40 फीट चौड़े रास्ता भूमि की आवश्यकता है, जो नजरी नक्शा प्रदर्श अ संलग्न प्रार्थना पत्र है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेन्ट के पास अपने खेतो में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसी सूरत में रास्ता भूमि की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2025 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने मनगढत तथ्यो के आधार पर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो काबिले खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चितलवाना से उपरोक्त अनवान प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट बनाते वक्त भी किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस तहसीलदार चितलवाना द्वारा अपीलांट को नहीं दिया गया एवं तहसीलदार चितलवाना द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत करते हुए मौका रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई एवं निर्णय पारित करवाया गया। खसरा संख्या 797 पर अपीलांट का पीढियों से शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त है अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने केवल द्वेषतापूर्वक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट को किसी भी प्रकार के प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, उक्त निर्णय विधिसम्मत तरीके से जारी नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी में पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध कराने के लिए धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.05.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन आदेश एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं है, एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए बिना हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित अपीलाधीन प्रकरण से अपीलांट्स की आराजी प्रभावित नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से राजकीय सिवायचक भूमि में से सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

साथ साथ अपीलांट सहित आमजन के लिए है। निर्णय से प्रभावित भूमि राजकीय भूमि होने से संबंधित तहसीलदार ऐसी भूमियों में भूमिधारी की हैसियत से आवश्यक व उचित पक्षकार होता है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण में संबंधित तहसीलदार बतौर अप्रार्थी संयोजित रहे है। इस प्रकार अपीलांट हस्तगत प्रकरण में न तो आवश्यक पक्षकार है, व न ही अपीलाधीन आदेश से पीड़ित पक्षकार है एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किए बिना हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। कानूनन प्रथम अपील अपीलाधीन आदेश से संबंधित पक्षकार या अपीलाधीन आदेश से पीड़ित व प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे पीड़ित व प्रभावित व्यक्ति द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर, बाद अनुमति अपील प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में इसका पूर्णतया अभाव है।

4. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण में पक्षकार नहीं होने, अपीलाधीन प्रकरण में पक्षकार नहीं होने के बावजूद अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमति हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए बिना हस्तगत अपील प्रस्तुत करने तथा अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से पीड़ित व प्रभावित पक्षकार नहीं होने के साथ–साथ प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने, अपीलांट अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नहीं होने एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होने से अपील पोषणीयता व ग्राह्यता के स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **22.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner